मु.नं. 34/25, UCMS - 2025/68

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
07.04.2025	पत्रावली अधिवक्ता वादी/प्रार्थी जरिए अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ. 9 नि. 4,9 व धारा 151 सीपीसी दिनांक 10.12.2024 प्रस्तुत किये जाने के कारण पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता प्रकरण वाद सं. 79/2023 व प्रार्थना पत्र सं. 96/23में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 को निरस्त कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लेने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली जवाब प्रतिवादीगण हेतु नियत थी। दिनांक 27.11.2024 को पत्रावली अधिवक्ता वादी/प्रार्थी की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में जाकर खारिज की गयी। वादी/प्रार्थी द्वारा अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि दिनांक 27.11.2024 को वादी अधिवक्ता की पत्नी राजकीय चिकित्सालय सूरतगढ़ में भर्ती होने के कारण उपस्थित नहीं सके। जानबूझकर उपस्थित नहीं होने का कृत्य नहीं किया गया है। वादी/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ छायाप्रति डिस्चार्ज टिकिट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सूरतगढ़ प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार वादी/प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायसंगत है। अतः 200/- रूपये की कोस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण के पुनः उसी नम्बर पर पुनर्स्थापना के आदेश दिए जाते है। उभयपक्ष अधिवक्तागण को सूचित किया जावे। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण दिनांक 01.05.2025 को पेश हो। शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:28:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner